अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, 1 एन.डी.पी.एस. अधि0। वैशाली, हाजीपुर।

NDPS gr. no. 15/2024(Lalganj p.s. no.-93/2023

U/s- 20, 21, 22, 23 of N.D.P.S. Act.

निर्णय

30.07.2026

आज अभियुक्त जयनन्दन राय उपस्थित है एवं वह अपराध की संस्वीकृति करने के लिए आवेदन दिया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही की गयी इसलिये संस्वीकृति का आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

बाद में,

30.07.2026:– अभियुक्त जयनन्दन राय आज न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं उसके उपर प्राथमिकी मे आरोप है कि उसके पास से कुल 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रस्तुत वाद मे दिनांक 10.09.2025 को अभियुक्त जयनन्दन राय के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. की धारा 20, 21, 22, 23 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। वर्तमान मे अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है।

न्यायालय ने अभियुक्त के संस्वीकृति आवेदन को स्वीकार किया और अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुये यह भी कहा कि यह उनका प्रथम अपराध था, अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया कि इससे पूर्व किसी भी वाद मे वह दोषसिद्ध अभियुक्त नहीं है और न ही कोई अपराधिक इतिहास है। अभियुक्त को यह भी समझाया गया कि उसकी यह संस्वीकृति उसके विरूद्ध प्रयोग की जायेगी, जिसके लिये उसने सहमति भी जाहिर की।

अतः अभियुक्त जयनन्दन राय को एन.डी.पी.एस. की धारा 20, 21, 22, 23, के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। बेंच क्लर्क को आदेश दिया जाता है कि वह अभिलेख को दोपहर पश्चात् दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए पेश करें।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

दोपहर बाद,

30.07.2026:– अभियुक्त जयनन्दन राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रि0मि0–39210/2023 दिनांक 31.07.2023 मे अग्रिम

Web Copy not Official

जमानत की सुविधा प्रदान किया गया था तथा दिनांक 04.08.2023 को बंधपत्र दाखिल किया गया था। आवेदक के पास से बरामद मादक पदार्थ अल्प मात्रा मे है। अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का दंड नही दिया जाना चाहिये, अभियुक्त के पास से केवल 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है जो कि लघु मात्रा से भी काफी कम है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के विरूद्ध जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

दोनो पक्षो को सुना एवं जप्त की गई गांजा की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुये कारावास की सजा नही दी जानी चाहिये फलस्वरूप आवेदक को 5,000/– (पॉच हजार) रूपया अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के रूप मे 5,000/– (पॉच हजार) रूपया नजारत, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर मे जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

बाद में,
30.07.2026:– अभियुक्त जयनन्दन राय की ओर से अर्थदंड की राशि 5,000/– (पॉच हजार) रूपया नजारत, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर मे जमा किया गया जिसका जुर्माना पावती सं0–699209 दिनांक 30.07.2026 दाखिल किया गया। अभियुक्त जयनन्दन राय को मुक्त किया जाता है, उसके द्वारा दायर किया गया बंधपत्र छः महीने पश्चात मोचित कर दिया जायेगा।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official